

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 16/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. ____ (अ). -केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं0 42/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 471(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के खंड (v) उपखंड (ख) में "धारा 11कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 11कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 42/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 26 जून, 2001 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 471(अ) तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि.180(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.16/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।